

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-16/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० स्वाति राज, चिकित्सा पदाधिकारी, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना सिटी, पटना के दिनांक-21.04.2021 से 31.08.2023 तक अध्ययन अवधि एवं दिनांक-01.09.2023 से 01.02.2024 तक की प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है -

- (i) दिनांक-21.04.2021 से 31.08.2023 तक - अद्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में  
(विभागीय अधिसूचना सख्या-2045(2), दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
- (ii) दिनांक-01.09.2023 से 03.09.2023 तक - पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (मुख्यालय) के रूप में।
- (iii) दिनांक-04.09.2023 को - असाधारण अवकाश के रूप में  
(बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)।
- (iv) दिनांक-05.09.2023 से 10.09.2023 तक - पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (मुख्यालय) के रूप में।
- (v) दिनांक-11.09.2023 को - असाधारण अवकाश के रूप में  
(बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)।
- (vi) दिनांक-12.09.2023 से 13.09.2023 तक - पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (मुख्यालय) के रूप में।
- (vii) दिनांक-14.09.2023 से 17.09.2023 तक - असाधारण अवकाश के रूप में  
(बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)।
- (viii) दिनांक-18.09.2023 से 01.02.2024 तक - पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (मुख्यालय) के रूप में।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-16/2025- 776(2)/स्वा०, पटना, दिनांक 10/4/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना सिटी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पटना / डा० स्वाति राज, चिकित्सा पदाधिकारी, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना सिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।